प्रतिवेदन

कार्य का नामः– **जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत चकराता–लाखामण्डल(गोरा घाटी) मोटर मार्ग से रंगेऊ मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।**

(लम्बाई–6.150किमी0)

शासनादेश संख्या 1859 / पी03–14 / यू0आर0आर0डी0ए0 / 12 दिनाँक 04 / 01 / 2012 के तहत जनपद देहरादून के अन्तर्गत चकराता–लाखामण्डल मोटर मार्ग से रंगेऊ मोटर मार्ग निर्माण कार्य हेतु 7.00 किमी0 लम्बाई की स्वीकृति प्राप्त है। विस्तृत सर्वेक्षण कर इस मोटर मार्ग की वास्तविक लम्बाई 6.150 किमी0 आती है इसलिए 6.150 किमी0 का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव तैयार किया गया। यह मार्ग चकराता–लाखामण्डल मोटर माग के गोराघाटी नामक स्थान से प्रारम्भ होकर रंगेऊ तक प्रस्तावित है। इस मार्ग के बनने से दर्जनों गांवों को यातायात का लाभ मिलेगा। तथा इसी मार्ग से ग्रामीणों की नगदी फसलों को मण्ड़ी तक पहुंचानें में सुविधा मिलेगी। प्रस्तावित भूमि की स्थिति निम्न प्रकार है –

1 – आरक्षित वन भूमि	–	शून्य है0
2 – वन पंचायत भूमि	–	शून्य है0
3 – सिविल सोयम वन भूमि	–	1.7360 है0
4 – नाप भूमि	–	3.3030 है0
योग	–	**5.0390 है0**

भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव **6.150** कि0मी0 लम्बाई में जिसमें नाप भूमि 9.00 मीटर चौड़ाई में, सिविल सोयम भूमि 7.00 मी0 चौडाई में तथा आरक्षित वन भूमि 7.00 मी0 चौड़ाई में ली गई है। इस मार्ग में सिविल सोयम भूमि 1.7360 है0, आरक्षित वन भूमि 0.00 है0, कुल 1.7360 है0 वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग उत्तराखण्ड़ सरकार हेतु भूमि हस्तान्तरण किये जाने के लिए प्रस्ताव गठित किया गया है। उक्त प्रस्तावित भूमि न्यूनतम है। इसके अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक समरेखंण की सम्भावना नहीं है। औपचारिक कार्यवाही हेतु संयुक्त निरीक्षण किया गया, आख्या संलग्न है।

उक्त मोटर मार्ग के निर्माण से 800 जनसंख्या लाभान्वित होगी तथा उक्त ग्राम मोटर मार्ग से जुड़ जायेगा। पर्वतीय ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्र से यातायात से जुड़ कर लाभान्वित हो जायेगें और नगदी फसलों को बाजार तक विपणन करने की सुगम सुविधा उपलब्ध होगी।

सर्वेक्षण के आधार पर उक्त मार्ग का समरेंखण इस प्रकार से निर्धारित किया गया है कि उक्त ग्राम मोटर मार्ग से जुड जायेगा एंव मानक के अनुरूप न्यूनतम वन भूमि उपयोग में लाई जायेगी, जिससे कम वृक्ष एंव फसलें प्रभावित होगी। मोटर मार्ग का 6.150 कि0मी0 लम्बाई में सिविल सोयम भूमि एवं आरक्षित वन भूमि की 7.00 मी0 चौडाई में वृक्षों की गणना की गई। जिससे कम से कम वृक्षों का पातन होगा।

जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री गाम सडक योजना के अन्तर्गत चकराता–लाखामण्डल (गोरा घाटी) मोटर मार्ग से रंगेऊ मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.7360 है0 सिविल सोयम वन भूमि एंव आरक्षित वन भूमि ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण के सम्बन्ध में वन भूमि प्रस्ताव गठित कर विधिवत् स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है।

अवर अभियन्ता / कनिष्ठ अभियंता	सहायक अभियन्ता	अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0	पी0एम0जी0एस0वाई0	पी0एम0जी0एस0वाई0
नि0ख0 लो0नि0वि0,	नि0ख0 लो0नि0वि0,	नि0ख0 लो0नि0वि0,
कालसी	कालसी	कालसी

सहायक अभियन्ता पी.एम.जी.एस.वाई निर्माण खण्ड लो.नि.वि. कालसी

Executive Engineer Constn. Divn., P.W.D. Kalsi